राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	3988 / 2022 श्रीमती मेघा रतन	1. आयुक्त एवं सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, महिला अधिकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. अति. निदेशक, निदेशालय महिला अधिकारिता, जे–7, झालाना इंस्ट्यूशनल एरिया, जयपुर।	श्री नरेन्द्र सिंह यादव अपीलार्थी की ओर से
2.	5415 / 2022 (586 / 2022) राजेन्द्र कुमार चौधरी	1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, समेकित महिला एवं बाल विकास सेवाएं, निदेशालय, 2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर। 2. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास सेवाएं, जयपुर।	श्री सलीम खान, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

आदेश की दिनांक : 25.11.2022

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त दोनों अपीलों में विधि का समान प्रश्न निहित होने के आधार पर हम उक्त दोनों अपीलों का निस्तारण इस एकल आदेश के द्वारा करना न्यायहित में उचित समझते हैं।

2. अपील संख्या 5415 / 2022 (586 / 2022) के अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौधरी ने कथन किया कि अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौधरी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2022 के द्वारा बीकानेर से अजमेर किया गया था। सहायक निदेशक के पद पर अपीलार्थी कार्यरत है। इस अपील में अपीलार्थी का कथन रहा है कि पूर्व में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 28.08.2022 के द्वारा अजमेर से बीकानेर स्थानान्तरित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.09.2022 को कार्य ग्रहण किया था। अल्पावधि में ही आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2022 से पुनः अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया है, जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी की अपील में इस अधिकरण द्वारा दिनांक 13.10.2022 को स्थगन आदेश पारित किया गया था और आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था।

3. अन्य अपील संख्या 3988/2022 श्रीमती मेघा रतन द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने दिनांक 29.08.2022 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी श्रीमती मेघा रतन, जो कि उप निदेशक के पद पर बीकानेर में कार्यरत थी। उसका स्थानान्तरण भरतपुर किया गया है, परन्तु उक्त आदेश को दिनांक 30.09.2022 के द्वारा निरस्त करते हुए अपीलार्थी मेघा रतन को बीकानेर में यथावत रखा गया। ऐसे में अपीलार्थी मेघा रतन ने यह प्रार्थना की है कि उसे पूर्व के आदेश दिनांक 29.08.2022 की पालना के लिये बाध्य नहीं किया जावे और बीकानेर में यथावत रखा जावे।

4. अपीलार्थी मेघा रतन की ओर से यह भी कथन किया गया है कि राजेन्द्र कुमार चौधरी का जो स्थानान्तरण बीकानेर से अजमेर किया गया है, वह उचित है, क्योंकि राजेन्द्र कुमार चौधरी को बीकानेर में उच्च पद पर लगाया गया था, जबकि राजेन्द्र कुमार चौधरी सहायक निदेशक है। राजेन्द्र कुमार चौधरी को बीकानेर में उप निदेशक के पद पर लगाया गया था, परन्तु अब वर्तमान में राजेन्द्र कुमार चौधरी को अजमेर में उसके पद के विरूद्ध लगाया गया है, जो उचित है।

5. हमने उभय पक्षकारों की बहस को ध्यानपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध तमाम सामग्री का गंभीरतापूर्वक परिशीलन कर मनन किया।

6. अपील संख्या 5415/2022 (586/2022) के अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौधरी जो कि सहायक निदेशक के पद पर है, उन्हें पूर्व में आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा बीकानेर में उप निदेशक के पद पर लगाया गया था और बीकानेर में उप निदेशक के पद पर श्रीमती मेघा रतन कार्यरत थी, उन्हें भरतपुर में लगाया गया था। बाद में आदेश दिनांक 30.09.2022 को पारित करते हुए राजेन्द्र कुमार चौधरी को पुनः अजमेर में सहायक निदेशक के पद पर ही भेजा गया है। अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौधरी उप निदेशक का पद धारण नहीं करता है, फिर भी उसे बीकानेर में उप निदेशक के पद

पर लगाया गया था और बाद में पुनः अजमेर में भेजे जाने से अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौधरी अपने स्वयं के सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हुआ है। इस आदेश में कोई कानून का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी को उसी के धारित पद के विरूद्ध लगाया गया है। अतः आदेश दिनांक 30.09.2022 में कानून की त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। ऐसे में अपीलार्थी राजेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 5415/2022 (586/2022) खारिज की जाती है और अधिकरण द्वारा उक्त अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.10.2022 को निरस्त किया जाता है।

7. जहां तक अपीलार्थी श्रीमती मेघा रतन की अपील संख्या 3988/2022 का प्रश्न है। श्रीमती मेघा रतन के सम्बन्ध में उसका स्थानान्तरण आदेश निरस्त किया जा चुका है। ऐसे में अब अपीलार्थी श्रीमती मेघा रतन को उसके पद से कार्यमुक्त करने पर बल नहीं दिया जावे।

8. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत दोनों अपीलों के अपीलार्थी के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

9. मूल आदेश अपील संख्या 3988/2022 (श्रीमती मेघा रतन) की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 5415/2022 (586/2022) (राजेन्द्र कुमार चौधरी) की पत्रावली में इस आदेश की फोटो प्रति संलग्न की जावे।

10. आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)